HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10871/2026
URN: CW / 24140U / 2026

Maa Sharda Pvt. Iti, Jhalawar Gram Gawdi, Tehsil Jhalrapatan, District Jhalawar (Rajasthan) Through Society, Shree Shakti Prashikshan Sanstha Through Secretary Vijay Pratap Singh S/o Sh. Hemraj Singh, Aged 36 Years, Resident Near Kalitek Hanuman Temple, B-Ed. College Road, Sakatpara, Kota (Rajasthan)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Technical Education, State Of Rajasthan, Jaipur.
2. Director, Directorate Of Technical Education Rajasthan, W-6, Residency Road, Jodhpur- 342001.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Ms. Aradhana Swami
For Respondent(s)	:	Ms. Akshita Sharma for Mr. Bhuwnesh Sharma AAG

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

17/07/2026

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकार संस्थान अयाची के यहां वर्ष 2014 से सम्बद्ध है तथा संस्थान किराएशुदा परिसर में चल रहा है। दिनांक 17.03.2026 को अयाची द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने के कुछ दिशा निर्देश दिए थे, जिनके संलग्नक में संस्थान की भूमि के पंजीकृत दस्तावेज/पंजीकृत लीज डीड सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उनका तर्क है कि याचिकाकार ने नोटरीकृत लीज डीड जो दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक प्रभावी है, प्रस्तुत की है। उनका तर्क है कि ऐसी शर्त अविधिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है और नहीं लगाई जा सकती है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि समकक्ष पीठ ने इसी प्रकृति के एक अन्य मामले में अंतरिम अनुतोष संस्थान के पक्ष में प्रदान किया है। अपने तर्क के समर्थन में समकक्ष पीठ के

प्रकरण सिविल रिट याचिका संख्या 14858/2026 कृष्णा प्राइवेट आईटीआई–बनाम–राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2026 की प्रति पेश की है।

विचार किया गया।

अयाचीगण को **चार सप्ताह में वापसी योग्य** नोटिस जारी किए जावें।

अयाची संख्या–1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता अक्षिता शर्मा श्री भुवनेश शर्मा अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से उपस्थित आए, जिन्होंने नोटिस स्वीकार किए। याचिका की प्रति उन्हें दिलाई जा चुकी है। अतः उन्हें औपचारिक नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अंतरिम स्थगन के सम्बन्ध में सुना गया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यही अंतरिम अनुतोष प्रदान किया जाता है कि आगामी तिथि तक अयाचीगण उनके आदेश दिनांक 17.03.2026 (परिशिष्ट–3) के अनुसरण में की जाने वाली कार्यवाही में याची संस्थान को आदेश के साथ संलग्नक–1 में अंकित शर्त संख्या–4 की पालना के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

25/AJAY KUMAR SINGHAL/712